

कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा, ऊधम सिंह नगर

सार्वजनिक सूचना

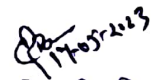
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत केलाखेड़ा द्वारा उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 208 (2), लिस्टर- 1जे0 (डी) के अन्तर्गत अपनी सीमान्तर्गत हाट बाजार की व्यवस्था को नियंत्रित तथा विनियमित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाने का प्रस्ताव किया है, जिसे उक्त एक्ट की धारा 300(1) के अन्तर्गत उन व्यक्तियों जिन पर इसका प्रभाव पड़ने की संभावना है, से आपतियां एवं सुझाव आमंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधि का प्रकाशन कराने हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा (ऊ0सिं0नगर) की बोर्ड बैठक दिनांक 06-04-2023 के प्रस्ताव सं- 01 द्वारा सर्व सम्मति से पारित प्रस्ताव के अनुसार उपनियम "हाट बाजार" उपनियम- 2023 बनाये जाने की स्वीकृति उपरान्त आपति/सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु विशेष संकल्प से पारित हुआ है।

अतः नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-300(1) के अंतर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला हो, उपविधि का प्रकाशन आपति एवं सुझाव हेतु नगर पंचायत केलाखेड़ा की वेबसाइट- www.nppkelakhera.in पर एवं कार्यालय नगर पंचायत केलाखेड़ा के कर अनुभाग में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं, जिसका अवलोकन प्रकाशन की तिथि को प्रातः 10 बजे से किया जा सकता है।

अतः लोकहित में सुविधा, सुरक्षा एवं नियंत्रण व विनियमन करने हेतु "हाट बाजार" उपनियम- 2023 में यदि किसी संस्था, व्यक्ति, व्यक्ति विशेष फर्म उद्योग, को कोई आपति/सुझाव हो तो वे इस विज्ञप्ति की प्रकाशन तिथि से 30 दिन के अंदर आपतियां/सुझाव आमंत्रित किये जाते हैं, आपतियां निर्धारित तिथि 16.06.2023 को सायं 04:00 बजे तक लिखित रूप में अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत केलाखेड़ा जिला - उधम सिंह नगर के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरांत प्राप्त आपतियों एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपनियम हाट बाजार 2023

1. परिभाषा-किसी बात के प्रसंग में प्रतिकूल न होने पर.....
- (क) यह उप विधि नगर पंचायत केलाखेड़ा की सीमा अन्तर्गत साप्ताहिक हाट बाजार के विनियमन हेतु उपविधि कहलायेगी।
- (ख) प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, का तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा के प्रशासक/अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।
- (ग) अधिशासी अधिकारी, से तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा के अधिशासी अधिकारी से है।
- (घ) सेवक, से तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा के आधीन सेवारत कर्मचारी से है जो हाट बाजार कार्य के लिए नियुक्त अथवा अधिकृत किया गया हो।
- (ङ) निकाय, से तात्पर्य नगर पंचायत केलाखेड़ा से है।
- (च) ठेकेदार, से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जिसको निकाय द्वारा वार्षिक रूप में वसूली के लिए ठेका दिया गया हो।
- (छ) शैड्यूल, का तात्पर्य निकाय द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली हाट बाजार दरों से है।
- (ज) यह उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

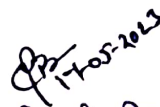

अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत केलाखेड़ा
(ऊधम सिंह नगर)



1. नगर पंचायत केलाखेड़ा अपनी सीमा अन्तर्गत निश्चित स्थान पर प्रत्येक शुक्रवार व मंगलवार को बाजार लगायेगी, जिसे साप्ताहिक बाजार (पैठ) केलाखेड़ा के नाम से जाना जायेगा।
2. साप्ताहिक पैठ का स्थान अधिशासी अधिकारी द्वारा परिस्थितियों के अनुसार 15 दिन पूर्व सूचना प्रदन कर परिवर्तित किया जा सकता है।
3. साप्ताहिक पैठ में आने वाले दुकानदारों हेतु अधिशासी अधिकारी अथवा नगर पंचायत द्वारा भूमि का निर्धारण किया जायेगा। उक्त निर्णय अन्तिम रूप से सभी संबंधित को मान्य होगा।
4. साप्ताहिक पैठ में कोई भी व्यक्ति या दुकानदार स्थाई रूप से कब्जा नहीं कर सकता है, और न ही कोई पक्का निर्माण कर सकता है।
5. साप्ताहिक पैठ विक्रय हेतु आने वाली प्रत्येक प्रकार की खाद्य सामग्री का अधिशासी अधिकारी द्वारा समय-समय पर निरीक्षण किया जायेगा तथा खराब पायी जाने वाली वस्तुओं को अपने कब्जे में लेकर नष्ट कर सकता है और दुकान को पैठ में आने से रोक लगायी जा सकती है।
6. साप्ताहिक पैठ में कोई भी दुकानदार आवश्यक वस्तुओं को सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर नहीं बेच सकता।
7. साप्ताहिक पैठ में मछली तथा मीट को एवं अन्य खाद्य पदार्थ को खुले स्थान पर नहीं बेचा जा सकेगा, इसके लिए सामान को भली प्रकार से ढककर रखना होगा।
8. कोई भी व्यक्ति इन उपनियमों में वर्णित स्थानों के अतिरिक्त, अधिशासी अधिकारी या निकाय द्वारा अधिकृत किसी कर्मचारी से लिखित स्वीकृति तथा निर्धारित शुल्क के दिये बिना निकाय सीमा के अन्तर्गत किसी सार्वजनिक गली, स्थान में कोई वस्तु बेचेगा न बेचने के लिए रखेगा और न कोई बूथ या स्टाल बनायेगा।
9. नगर सीमा के अन्तर्गत फेरी लगाकर सामान बेचने वाले प्रत्येक पैडलर को सूची में दी गयी दरों के अनुसार शुल्क देना अनिवार्य है।
10. यदि निकाय नीलाम द्वारा हाट बाजार का ठेका किसी ठेकेदार को देती है तो ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि को सूची के अनुसार हाट बाजार शुल्क लेने का अधिकार होगा, साथ ही यह भी उपनियमों एवं सूची में अंकित दरों के अनुसार संचालित होगा।
11. इन उपनियमों के अन्तर्गत दिये जाने वाले किसी शुल्क की प्राप्ति पर शुल्क लेने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर निर्धारित प्रपत्र में करने के पश्चात शुल्क देने वाले व्यक्ति को देगा।
12. शुल्क स्थल पर न देने के फलस्वरूप यदि कार्यालय में वसूल किया जाता है तो अध्यक्ष/ अधिशासी अधिकारी को यह आदेश देने का अधिकार है कि सूची में दी गयी दरों से दुगुनी रकम वसूल की जाये।

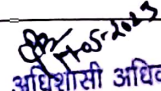
उपनियम 1 में दिये गये स्थानों की सूची

1. निकाय सीमा के अन्तर्गत सभी सड़कें व नालिया।
2. खुले सार्वजनिक स्थान या अचल सम्पत्ति जो निकाय के अन्तर्गत प्रबन्धन हेतु दी गई है।
3. निकाय सीमा के अन्तर्गत कोई स्थान या मौहल्ला।
4. निकाय सीमा के अन्तर्गत सभी खुले स्थान, मोटर स्टेशन या रेलवे स्टेशन।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पंचायत केलाखेड़ा
 (ऊधम सिंह नगर)

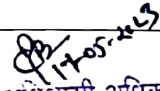
प्रस्तावित हाट बाजार दरों की सूची

क्र०सं०	नाम वस्तु/मद	दरें
1	मिर्च, गल्ला, धनिया, लहसुन, आटा, हल्दी, कपास, रुई, नमक इत्यादि थोक में	100.00 प्रति फड़
2	घी थोक में	100.00 प्रति फड़
3	घी फुटकर में	50.00 प्रति फड़
4	गुड़ भेली	50.00 प्रति फड़
5	जूता फरोश	100.00 प्रति फड़
6	मोची	20.00 प्रति फड़
7	बिस्कुट, मूंगफली, खोमचे	50.00 प्रति फड़
8	फल, खरबूजा, तरबूज, आम तथा अन्य फल	50.00 प्रति फड़ 100.00 प्रति गाड़ी 150.00 प्रति मेटाडोर
9	सब्जी फुटकर में सिंगल फड़	50.00 प्रति फड़
10	सब्जी थोक में डबल फड़	100.00 प्रति बोरी
11	पटवा, नेचे बन्द, मनिहार, पलिया फरोश	50.00 प्रति फड़
12	कुम्हार	50.00 प्रति फड़
13	टोकरी बासी आदि	50.00 प्रति फड़
14	बारबर (नाई)	50.00 प्रति फड़ 100.00 प्रति खोखा
15	आचार, मुरब्बा आदि	50.00 प्रति फड़
16	भुर्जी मुगफली, चने, सेव परमल आदि भूनने वाले	50.00 प्रति फड़
17	मेवा फरोश	50.00 प्रति फड़
18	दर्जी	100.00 प्रति फड़
19	छीपी लिहाफ, दरी, कम्बल आदि के विक्रेता	100.00 प्रति फड़
20	कपड़े की दुकान, बजाज	100.00 प्रति फड़
21	कपड़ा रेडीमेट व पुराना	50.00 प्रति फड़
22	बिसाती	50.00 प्रति फड़
23	तेली	50.00 प्रति फड़
24	तमोली	100.00 प्रति फड़
25	हलवाई	100.00 प्रति फड़
26	सर्पाफ- (अ) सोना, चाँदी के जेवर विक्रेता (ब) गिलेट, स्टील आदि जेवर के विक्रेता	100.00 प्रति दिन 50.00 प्रति दिन
27	लोहार	20.00 प्रति फड़
28	मछली विक्रेता	100.00 प्रति दिन
29	अण्डे, पकोड़ी विक्रेता	100.00 प्रति फड़
30	मुर्गा मीट विक्रेता	150.00 प्रति फड़


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पंचायत केलाखेड़ा
 (ऊधम सिंह नगर)



31	पन्सारी	50.00 प्रति फड़
32	गन्ना जूस विक्रेता	50.00 प्रति दिन
33	बकरा, बकरी, भेड़ आदि मीट विक्रेता	200.00 प्रति राश
34	कसेरा, एल्युमिनियम, पीतल, कलई स्टील आदि के बर्तन विक्रेता	100.00 प्रति दिन
35	सीके, मूज, बान आदि बिक्री	50.00 प्रति दिन
36	चारपाई, पाये, हरस, लकड़ी के सामान, फर्नीचर, लाठी, हुण्डे आदि की बिक्री	50.00 प्रति दिन
37	आटा, दाल, चावल, आदि बिक्री	50.00 प्रति फड़ 100.00 प्रति गाड़ी
38	बीड़ी आदि के विज्ञापन पर	100.00 प्रति कार, मेटाडोर आदि
39	चटाई आदि	50.00 प्रति दिन
40	चाय, सोडा, लेमन, मलाई, बर्फ, आइसक्रीम रस, जूस वगैराह फुटकर में	50.00 प्रति दिन
41	सोडा, लेमन, मलाई आदि पेय पदार्थ थोक में	100.00 प्रति ट्रक, 70.00 प्रति टेम्पों, 50.00 प्रति रिकशा
42	बर्फ की सिल्ली	20.00 प्रति सिल्ली
43	तम्बाकू, सूरती, पान का तम्बाकू आदि	50.00 प्रति फड़
44	चाट खोमचा आदि	50.00 प्रति फड़ या ठेला
45	घास, अगोला या अन्य चारा	100.00 प्रति गाड़ी 50.00 प्रति रिकशा/ठेला 20.00 प्रति साइकिल
46	लकड़ी, ईंधन आदि की बिक्री	20.00 प्रति गट्ठा
47	पान, सिगरेट, बीड़ी, साबुन, घी, तेल आदि की बिक्री	50.00 प्रति फड़, खोखा
48	इमारती लकड़ी/फर्नीचर, मोटे चौखट आदि	150.00 प्रति फड़
49	रेबड़ी, गजक, आदि	50.00 प्रति फड़ या ठेला
50	पौध, आम, नीबू, नारंगी आदि	50.00 प्रति फड़
51	ईंधन, कोयला ईंट, पत्थर, रेत आदि जमा कर बिक्री पर	20.00 प्रति फड़ 70.00 प्रति ट्राली 100.00 प्रति ट्रक
52	मनिहार	50.00 प्रति दिन
53	फेरी बाला	50.00 प्रति दिन
54	हिन्डोला व चर्खा, बाईस्कोप	50.00 प्रति दिन
55	सर्कस, सिनेमा, बी.डी.ओ. आदि	200.00 प्रति दिन
56	संगीत तथा अन्य व्यवसायिक प्रचार लाउडस्पीकर से	100.00 प्रति दिन
57	नीलामी द्वारा किसी वस्तु का विक्रय	100.00 प्रति दिन
58	भाषणों का मजमा लगाकर वस्तु का विक्रय या तमाशों का व्यापार	100.00 प्रति दिन
59	नोटंकी	100.00 प्रति दिन


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पंचायत केलाखेड़ा
 (ऊधम सिंह नगर)



60	वैन फैरी वाले (मिनी वाहन)	100.00 प्रति दिन
61	अन्य ऐसे जिनका उल्लेख उपरोक्त में न किया हो	50.00 प्रति दिन

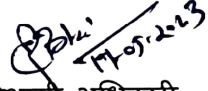
नोट:- अ . एक फुट की मापदण्ड 2 x 2.5 मीटर मान्य होगा।

ब . हाट बाजार देने का अर्थ केवल भूमि का अस्थाई उपयोग है, जिसे किसी भी समय अनाधिकृत अस्थाई या स्थाई उपयोग को भी बिना किसी नोटिस के हटाया जा सकता है।

- 11 . हाट बाजार में नगर पंचायत द्वारा अधिकृत ठेकेदार उपरोक्त निर्धारित दरों से अधिक की धनराशि वसूल नहीं कर सकता है, अधिक वसूली प्रमाणित होने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह ठेकेदार के ठेके को निरस्त कर दें, तथा उसके द्वारा जमा की गई धनराशि को जब्त कर लें, ठेकेदार को इसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार नहीं होगा। ठेकेदार जो रसीद बुक छपवायेगा, कार्यालय नगर पंचायत से प्रमाणित कराना अनिवार्य होगा।

शास्ति/दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैल्टीज एक्ट 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत केलाखेड़ा जिला ऊधमसिंह नगर यह आदेश देती है कि इन उपनियमों के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड जो 1000/- (एक हजार रुपये) तक होगा, लिया जायेगा यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त जुर्माने का दण्ड लिया जायेगा जो पहले अपराध के दिनांक के पश्चात से प्रत्येक ऐसे दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराध अपराधी करता रहा है 50/- (पचास रुपये) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थदण्ड हो सकता है।


 अधिशासी अधिकारी
 नगर पंचायत केलाखेड़ा
 उधम सिंह नगर


 अध्यक्ष
 नगर पंचायत केलाखेड़ा
 उधम सिंह नगर